# काम पर कम वेतन मिलना

Employment Rights Legal Service

यह तथ्यपत्र बताता है कि यदि आपको कार्यस्थल पर कम वेतन दिया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं।
यदि आपको:
• उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है या बिल्कुल भुगतान नहीं किया जा रहा है,
• देर रात या सप्ताहांत पर काम करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता (जुर्माना दरें) (पेनल्टीज़), या
• वार्षिक छुट्टी, बीमारी के लिए छुट्टी, लंबी सेवा छुट्टी या अतिरेक वेतन जैसी पात्रताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
आपके पास अपना बकाया वसूलने का कानूनी अधिकार हो सकता है।

**आपको क्या करने की ज़रूरत है**

चरण 1. ठीक-ठीक पता लगाएँ कि आप पर कितना बकाया है
चरण 2. अपने नियोक्ता के समक्ष मुद्दा उठाएँ
चरण 3. माँग पत्र लिखें
चरण 4. निष्पक्ष कार्य लोकपाल को शिकायत करें; और/या
चरण 5. अदालत में दावा करें

**चरण 1. ठीक-ठीक पता लगाएँ कि आप पर कितना बकाया है**

आपके वेतन की सही दर क्या है? आप अपने रोज़गार अनुबंध या संबंधित अवार्ड की जाँच करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आप किसी अवार्ड के अन्तर्गत आते हैं, तो यह आपका न्यूनतम वेतन निर्धारित करेगा। फ़ेयर वर्क ओम्बड्समैन (**एफ़डब्ल्यूओ**) आपको www.fairwork.gov.au पर आपके अवार्ड और आपके वेतन की सही आधार दर का पता लगाने में मदद कर सकता है।

आपको कितना भुगतान किया गया है? आप अपनी पे-स्लिप, ग्रुप सर्टिफ़िकेट और बैंक विवरण की जाँच करके ऐसा कर सकते हैं।
आपको कितना भुगतान किया जाना चाहिए था और आपको कितनी राशि का भुगतान किया गया, इसके बीच का अंतर वह राशि है जो आप पर बकाया है। यदि आपको अपने कम भुगतान का पता लगाने में कठिनाई हो रही है, तो आप कानूनी सलाह लेना चाह सकते हैं।

**चरण 2. अपने नियोक्ता के समक्ष मुद्दा उठाएँ**

कम भुगतान के बारे में अपने नियोक्ता से बात करें और समस्या का समाधान करने के लिए कहें। हो सकता है कि आपके नियोक्ता ने जानबूझकर आपको कम वेतन न दिया हो; हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में गलती की हो। इस स्थिति में, समस्या को हल करने के लिए अपने नियोक्ता से बात करना पर्याप्त हो सकता है।

**नोट लें!** यह एक अच्छा विचार है कि आप अपने नियोक्ता के साथ कम भुगतान के बारे में जो भी चर्चा करते हैं, उसे नोट कर लें, जिसमें तिथि, जिस व्यक्ति से आपने बात की थी उसका नाम और क्या कहा गया था। यदि आपके नियोक्ता से बात करने से काम नहीं बनता, तो आपको चरण 3 पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

**चरण 3. माँग पत्र लिखें**

अपने नियोक्ता को एक 'माँग पत्र' लिखें जिसमें यह बताया गया हो कि आप पर कितनी राशि बकाया है और उसकी गणना कैसे की गई। अपने नियोक्ता से उचित समय (आमतौर पर 14 दिन) के भीतर आपको बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहें, और अपने नियोक्ता को बताएँ कि भुगतान नहीं होने पर आप क्या कदम उठा सकते हैं (नीचे देखें)। एफ़डब्ल्यूओ की स्माल क्लेम्स मार्गदर्शिका में माँगपत्र का एक टेम्पलेट उपलब्ध है।

**चरण 4. निष्पक्ष कार्य लोकपाल को शिकायत करें; और/या**

यदि आपका नियोक्ता आपकी बकाया राशि का भुगतान करने से इनकार करता है, तो आप एफ़डब्ल्यूओ से https://bit.ly/fwo-how-we-help पर जा कर मदद माँग सकते हैं । एफडब्ल्यूओ आपकी शिकायत की जाँच करने के लिए एक कार्यस्थल निरीक्षक को नियुक्त कर सकता है, और शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से काम करने में आपकी सहायता कर सकता है।

**चरण 5. अदालत में दावा करें**

आप अपना पैसा वापस पाने के लिए अदालत में भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका दावा $100,000 या उससे कम का है और इसमें निम्नलिखित का उल्लंघन शामिल है:

- राष्ट्रीय रोज़गार मानकों के तहत एक न्यूनतम पात्रता,
- अवार्ड के तहत पात्रता;
- उद्यम समझौता( एन्टरप्राईज़ एग्रीमेंट);
- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन आदेश; या
- निष्पक्ष फ़ेयर वर्क कमीशन का आदेश।

आप अपेक्षाकृत अनौपचारिक और त्वरित प्रक्रिया का उपयोग करके कम भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ़ेडरल सर्किट और फ़ैमिली कोर्ट (एफ़सीएफ़सीए) या एनएसडब्ल्यू के स्थानीय न्यायालय(लोकल कोर्ट) में छोटे दावों(स्माल क्लेम्स) की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। आपको अपने नियोक्ता के खिलाफ़ कम भुगतान का दावा करने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले सलाह लेने से मदद मिल सकती है।

एफ़डब्ल्यूओ की स्माल क्लेम्स मार्गदर्शिका आपको ऐसा आवेदन करने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
सामान्य प्रभाग(जनरल डिवीज़न): यदि आप $100,000 से अधिक का दावा कर रहे हैं या जुर्मानों( पेनल्टीज़) का दावा करना चाहते हैं, तो आप एफ़सीएफ़सीए में एक सामान्य आवेदन कर सकते हैं। जनरल डिवीज़न में दावा करने की प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है और फाइलिंग शुल्क स्माल क्लेम्स डिवीज़न के शुल्क से अधिक महंगा है। जनरल डिवीज़न में, आपके नियोक्ता को गलत काम करने के लिए सीधे आपको जुर्माना देने का आदेश दिया जा सकता है।

फ़ेयर वर्क एक्ट 2009(Fair Work Act 2009 (Cth)) के तहत किए गए दावों के लिए, यदि आपका दावा असफल हो जाता है, तो अदालत आपको केवल असाधारण मामलों में अपने नियोक्ता की कानूनी लागत का भुगतान करने का आदेश देगी।

**एनएसडब्ल्यू लोकल कोर्ट और अन्य स्टेट कोर्ट्स:** आप रोज़गार अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुख्य औद्योगिक मजिस्ट्रेट न्यायालय( चीफ़ इन्डस्ट्रीयल मैज़िस्ट्रेट कोर्ट) या एनएसडब्ल्यू के लोकल कोर्ट में भी मामला शुरू कर सकते हैं। यदि आपका दावा असफल होता है, तो आपको अपने नियोक्ता की कानूनी लागतों का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। लोकल कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ जुर्माना देने की राशि की सीमा होती है।

**महत्वपूर्ण:**
आपके पास उस तारीख से अपना अवैतनिक वेतन दावा पेश करने के लिए 6 साल हैं, जबसे आपको कम भुगतान किया गया था।

मुझे कानूनी सलाह कहाँ मिल सकती है?
इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है। यह आपकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में कानूनी सलाह लेने का विकल्प नहीं है। यदि आप कम भुगतान की चाहत के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, तो हम सलाह देते हैं कि आप निम्नलिखित को संपर्क करके कानूनी सलाह लें:

- रोज़गार अधिकार कानूनी सेवा( द एम्प्लायमेंट राईट्स लीगल सर्विस) को 02 80043270 पर या ऑनलाइन erls.org.au पर

हम प्रवासी श्रमिकों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मदद करते हैं और सहायता के लिए एक दुभाषिए की व्यवस्था कर सकते हैं।

- लीगल एड एनएसडब्ल्यू आपको अपने स्थानीय सीएलसी ढूँढने में मदद कर सकता है। legalaid.nsw.gov.au पर या 1300 888 528 पर कॉल करें।

प्रकाशित: 29 अक्तूबर 2018 द्वारा। संशोधित 13 नवंबर 2023